न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
102 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	30.11.2015	09.12.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री धर्मचन्द जैन पुत्र कजोडमल जैन विक्रेता मैसर्स रमेश एण्ड कम्पनी महावीर चौक पीपलू जिला टोंक राज. निवासी महावीर चौक पीपलू जिला टोंक राज.
2– मैसर्स रमेश एण्ड कम्पनी महावीर चौक पीपलू जिला टोंक राज.
3–श्री कमल कुमार अग्रवाल प्रोपरायटर मैसर्स मित्तल सेल्स एजेन्सीज दीनानाथ जी की गली, चाँदपोल बाजार जयपुर राज. निवासी 148–149, गंगा जमुना कॉलोनी, मुरलीपुरा जयपुर राज.
4– मैसर्स मित्तल सेल्स एजेन्सीज दीनानाथ जी की गली, चाँदपोल बाजार जयपुर राज.

— अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–<u>निर्णय</u>–:

दिनांक 09.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.06.2015 को समय 3.01 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स रमेश एण्ड कम्पनी महावीर चौक पीपलू जिला टोंक राज.पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से धर्मचन्द जैन पुत्र कजोडमल जैन विक्रेता मैसर्स रमेश एण्ड कम्पनी महावीर चौक पीपलू जिला टोंक राज. निवासी महावीर चौक पीपलू जिला टोंक राज.खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता/मैनेजर होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **सिंघाडा आटा कमलदीप मूल पैक**(Singhara Atta Kamaldeep Original pack)रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री धर्मचन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्राप्त की जिस पर विक्रेता धर्मचन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 500—500 ग्राम के 8 नग रैक मे **सिंघाडा आटा कमलदीप मूल पैक**(Singhara Atta Kamaldeep Original pack)रखे हुये मे से 500—500 ग्राम के 4 नग कुल 2 किलोग्राम का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री धर्मचन्द जैन को रू0 320/—अक्षरे तीन सौ बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सिंघाडा आटा कमलदीप मूल पैक**(Singhara Atta Kamaldeep Original pack)500—500 ग्राम कुल 2 किलोग्राम के चार भाग तैयार कर चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे रखकर प्रत्येक डिब्बे को एयर टाइट बंद किया एंव नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I—1061 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग—अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I—1061 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. धर्मचन्द जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री दिनेश कुमार मंगल ने मौके पर **सिंघाडा आटा कमलदीप मूल पैक**(Singhara Atta Kamaldeep Original pack)का बतोर वारंटी कोई बिल पेश नही किया पत्राचार करने पर मैसर्स मित्तल सेल्स एजेन्सीज दीनानाथ जी की गली, चॉदपोल बाजार जयपुर राज.का खरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 डी 050 दिनांक 25.04.2015 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस/2015/3... दिनांक ...09.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/484/एक्ट/2015/489 दिनांक 29.0... के अनुसार धर्मचन्द जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया सिंघाडा आटा कमलदीप मूल पैक(Singhara Atta Kamaldeep Original pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:03:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **सिंघाडा आटा कमलदीप मूल पैक**(Singhara Atta Kamaldeep Original pack)का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सिंघाडा आटा कमलदीप मूल पैक**(Singhara Atta Kamaldeep Original pack)का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सिंघाडा आटा कमलदीप मूल पैक**(Singhara Atta Kamaldeep Original pack)का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री धर्मचन्द जैन पुत्र कजोडमल जैन विक्रेता मैसर्स रमेश एण्ड कम्पनी महावीर चौक पीपलू जिला टोंक राज. निवासी महावीर चौक पीपलू जिला टोंक राज.पर शास्ति 12,500 (अक्षरे बारह हजार रू0) अप्रार्थी श्री कमल कुमार अग्रवाल प्रोपरायटर मैसर्स मित्तल सेल्स एजेन्सीज दीनानाथ जी की गली, चॉदपोल बाजार जयपुर राज. निवासी 148–149, गंगा जमुना कॉलोनी, मुरलीपुरा जयपुर राज.पर शास्ति 12,500 (अक्षरे बारह हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 09.12.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

9.12.2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 14:03:58 IST
Reason: SelfAttested

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0